भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *102
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

त्वरित विशेष न्यायालय

***102. श्री सुनील कुमार सिंह :**

श्री खगेन मुर्मु :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा त्वरित विशेष न्यायालय योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) देश में कार्यरत त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) संबंधी न्यायालयों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) न्यायालय-वार और राज्य-वार अब तक इनमें कितने मामलों को निपटाया गया है ;

(घ) इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां और परिणाम क्या हैं ;

(ङ) बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों में निपटान की दर क्या है ; और

(च) क्या सरकार ने एफटीएससी योजना के कार्यकरण का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

'त्वरित विशेष न्यायालय' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *102 जिसका उत्तर तारीख 09 फरवरी, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ग) : दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने समयबद्ध रीति में, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनिमय से संबंधित लंबित मामलो के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है।

यह स्कीम प्रारंभ में एक वर्ष के लिए थी, जिसे और मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था । संघीय मंत्रिमंडल ने निर्भया निधि से उपगत होने वाले 1207.24 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी सहित 1952.23 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर तारीख 01.04.2023 से 31.03.2026 तक और तीन वर्षों के लिए स्कीम को विस्तारित किया है ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 तक, देश भर में 411 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 757 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन्होने 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है । तारीख 31.12.2023 तक निपटाए गए मामलों की संख्या के साथ कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं ।

(घ) : विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना महिला सुरक्षा, लैंगिक और लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने, बलात्संग और पोक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और लैंगिक अपराधों के उत्तरजीवियों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। संवेदनशील लैंगिक अपराध के मामलों को हैंडल करने में विशेषज्ञ वृत्तिक और अनुभवी न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के साथ ये न्यायालय लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को लगातार और विशेषज्ञ-निर्देशित विधिक प्रक्रियाओं को प्रदान करते हुए आघात और संकट को कम करने में त्वरित समाधान करने और उन्हें आगे बढ़ने में समर्थ बना सुनिश्चित करते हैं । विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों ने पीड़ितों की सुविधा के लिए और संवेदनशील विधिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने हेतु न्यायालयों को बाल-अनुकूल न्यायालय बनाने के लिए न्यायालयों के भीतर अतिसंवेदनशील साक्षी अभिसाक्ष्य केंद्र स्थापित करने के दृष्टिकोण को अपनाया है । इन न्यायालयों ने 31 दिसंबर, 2023 तक 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

(ङ) : एफटीएससीएस डैशबोर्ड पर उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक कुल 81,471 मामले संस्थित किए गए थे, जबकि इस अवधि के दौरान 76,319 मामलों का निपटान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मामलों के निपटान की दर 93.6% है ।

स्कीम की आरंभ से विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) के निपटान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-2** पर है।

(च) : वर्ष 2023 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा स्कीम का एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम को जारी रखने की सिफारिश की गई थी । आईआईपीए द्वारा दी गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- आईआईपीए ने इस स्कीम को जारी रखने की पुरजोर सिफारिश की है क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य एक सुव्यवस्थित और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं और बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के मामलों को हैंडल करना है।
- शीघ्र विचारण करने के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों को मानदंडों को मजबूत करना चाहिए, जिसमें पोक्सो मामलों में अनुभवी विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, संवेदीकरण प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और महिला लोक अभियोजकों की नियुक्ति करना शामिल है।
- न्यायालय कक्षों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, जैसे श्रव्य और दृश्य रिकॉर्डिंग प्रणाली और एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ उन्नत करने की आवश्यकता है। वर्तमान विकसित प्रौद्योगिकी के साथ होने के लिए, इलैक्ट्रॉनिक केस फाइलिंग और न्यायालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में वृद्धि की जानी चाहिए ।
- न्यायालयों में लंबित मामलों में शीघ्रता लाने के लिए और डीएनए रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को बढ़ाया जाएगा और जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह न केवल वैज्ञानिक और रिपोर्टिंग अधिकारियों की सहायता करने के लिए कुशल जनशक्ति की मदद करेगा, बल्कि निष्पक्ष और त्वरित न्याय देने में भी मदद करेगा।
- अतिसंवेदनशील साक्षी अभिसाक्ष्य केंद्र (वीडब्ल्यूडीसी) पीड़ित परिसाक्ष्यों को रिकार्ड करने की बेहतर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जिलों में स्थापित किए

जाने चाहिए, जिससे न्यायालय की प्रक्रिया सुगम हो सके। राज्यों को बालकों की पहचान प्रकट किए बिना बंद कमरे में, बालकों के अनुकूल विचारण करने की पहल करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफटीएससी में बालकों को कठोर परीक्षण-पूर्व और परीक्षण प्रक्रियाओं में सहायता करने के लिए एक बाल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ।

******

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *102 जिसका उत्तर तारीख 09.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में यथानिर्दिष्ट उपाबंध

उपाबंध-1

दिसंबर, 2023 तक कार्यरत एफटीएससीएस और मामलों के संचयी निपटान की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय		स्कीम के आरंभ से संचयी निपटान
		एफटीएससीएस सहित ई-पोक्सो	ई-पोक्सो	
1	आंध्र प्रदेश	16	16	4083
2	असम	17	17	4979
3	बिहार	46	46	9939
4	चंडीगढ़	1	0	244
5	छत्तीसगढ	15	11	4377
6	दिल्ली	16	11	1503
7	गोवा	1	0	44
8	गुजरात	35	24	10295
9	हरियाणा	16	12	5342
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	1282
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	151
12	झारखंड	22	16	5822
13	कर्नाटक	31	17	8897
14	केरल	54	14	16878
15	मध्य प्रदेश	67	57	23613
16	महाराष्ट्र	19	10	16907
17	मणिपुर	2	0	127
18	मेघालय	5	5	382
19	मिजोरम	3	1	169
20	नगालैंड	1	0	57
21	ओडिशा	44	23	11960
22	पुदुचेरी	1	1	44
23	पंजाब	12	3	3565
24	राजस्थान	45	30	13003
25	तमिलनाडु	14	14	6228
26	तेलंगाना	36	0	7799
27	त्रिपुरा	3	1	349
28	उत्तराखंड	4	0	1355
29	उत्तर प्रदेश	218	74	55021
30	पश्चिमी बंगाल	3	3	48
	कुल	**757**	**411**	**214463**

उपाबंध-2

दिसंबर, 2023 तक एफटीएससीएस में मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निपटान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्कीम के प्रारंभ से संस्थित किए गए कुल मामले	स्कीम के प्रारंभ से संचयी निपटान	संचयी लंबितता
1	आंध्र प्रदेश	11314	4083	7231
2	असम	10186	4979	5207
3	बिहार	27655	9939	17716
4	चंडीगढ़	447	244	203
5	छत्तीसगढ	6641	4377	2264
6	दिल्ली	5313	1503	3810
7	गोवा	200	44	156
8	गुजरात	16633	10295	6338
9	हरियाणा	9541	5342	4199
10	हिमाचल प्रदेश	2116	1282	834
11	जम्मू-कश्मीर	604	151	453
12	झारखंड	10308	5822	4486
13	कर्नाटक	14311	8897	5414
14	केरल	24279	16878	7401
15	मध्य प्रदेश	33806	23613	10193
16	महाराष्ट्र	21262	16907	4355
17	मणिपुर	221	127	94
18	मेघालय	1443	382	1061
19	मिजोरम	258	169	89
20	नगालैंड	108	57	51
21	ओडिशा	23020	11960	11060
22	पुदुचेरी	265	44	221
23	पंजाब	5003	3565	1438
24	राजस्थान	19125	13003	6122
25	तमिलनाडु	10668	6228	4440
26	तेलंगाना	16262	7799	8463
27	त्रिपुरा	591	349	242
28	उत्तराखंड	2263	1355	908
29	उत्तर प्रदेश	139799	55021	84778
30	पश्चिमी बंगाल	2996	48	2948
	कुल	**416638**	**214463**	**202175**

****